रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

27/3/86

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 1985/कार्तिक 22, 1907
No. 540] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 13, 1985/KARTIKA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 1985

अधिसूचना

सं. 384/85-सीमा-शुल्क

का. आ. 850 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 257/85-सीमा शु. दि. 14 अगस्त 1985 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात्

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में "13 नवम्बर, 1985" शब्दों और अंकों के स्थान पर "31 मार्च 1986" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 574/5/85-भू.-सीमा-शुल्क-2]
आर. के. कपूर, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन —इस अधिसूचना की धारा दिनांक 14 अगस्त, 1985 की अधिसूचना सं. 257/85-सीमा शुल्क द्वारा घोषित [illegible] को 31 मार्च, 1986 तक उतराने की अनुज्ञा देने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 7 के अधीन जारी किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th November, 1985

NOTIFICATION

No. 334/85-Customs

S.O. 820(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 257/85-Customs, dated the 14th August, 1985, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures and words "13th November, 1985", the figures and words "31st March, 1986" shall be substituted.

[F. No. 574/5/85-Cus. II]
R. K. KAPOOR, Under Secy.

Explanatory Note This notification has the effect of extending the validity of notification No. 257/85-Customs, dated 14th August, 1985 regarding the appointment of [illegible] situated in the Nellore District of the State of Andhra Pradesh to be a customs port for the unloading of fertilizers, upto 31st March, 1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, [illegible] ROAD, N. DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054—1985